मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 11–3/2014/1/9 भोपाल, दिनांक 16 /01/2014

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त कमिश्नर,
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

विषय– मा. मुख्यमंत्री द्वारा मैदानी कार्यालयों का औचक निरीक्षण।

––00––

प्रदेश के नागरिकों को लोक सेवाओं के प्रदाय में उत्कृष्टता एवं सुशासन की दृष्टि से मा. मुख्यमंत्री जी ने गत सप्ताह मैदानी कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने पर प्रायः यह पाया कि कतिपय कर्मचारी/अधिकारी कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। उक्त कारणों से कई उत्तरदायी मैदानी कर्मचारियों/अधिकारियों को निलंबित भी किया है। दूसरी ओर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी/अधिकारी की प्रशंसा भी मा. मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। किन्तु मा. मुख्यमंत्री जी की सोच है कि लापरवाही/अनियमितताओं के लिये न केवल वह अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वह अधिकारी भी जो उनके सुपरवाईजरी अधिकारी है, और जिसके नियंत्रण में वे कार्य करते हैं।

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्रमांक 90
दिनांक 2/1/14
शाखा
अधीक्षक आयुक्त

उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये कर्मचारियो /अधिकारियों के लिये निम्नलिखित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं:–

1. कार्यस्थल पर लापरवाही बरतने या समस्या होने पर सुपरवाईजरी कर्मचारी/अधिकारी का भी स्पष्टीकरण लिया जावेगा और उन्हें उत्तरदायी माने जावेंगे।

2. वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी अपने अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारी के कार्यालय/कार्यस्थल /कार्य सेवा प्रदाय का स्वयं भी नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें।

RPC
301/JD(RPC) 25/01/14
PP(EG)

3. कार्य सेवा प्रदाय व्यवस्था सुचारू रूप से चले यह दायित्व कर्मचारी/अधिकारी का है उतनी ही जिम्मेदारी निरीक्षक/पर्यवेक्षक अधिकारी की भी है यह सुनिश्चित करें।

4. प्रत्येक कार्यालय/स्थल/अनुभाग का कार्य पूर्व निर्धारित हो, ताकि लापरवाही या समस्या होने पर तुरंत जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके, और कार्यवाही की जा सके।

5. यह भी सुनिश्चित हो कि अच्छे कर्मचारी/अधिकारियों की प्रशंसा की जाये। उनके कार्य की सराहना एवं पुरस्कृत करने की अनुशंसा भी की जाये।

माननीय मुख्यमंत्री जी के 1 फरवरी 2014 पश्चात औचक निरीक्षणों में यह व्यवस्था लागू होगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये और आगामी 15 दिनों में समस्त मैदानी अधिकारी अपने अधिनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें।

(बी.आर.विश्वकर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.कमांक एफ 11–3/2014/1/9 भोपाल, दिनांक 16/01/2014

प्रतिलिपिः–

1– समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव,म.प्र. शासन।
2– प्रमुख सचिव/सचिव/वि.क.अ.(एस), मा.मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3– निज सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री गण मध्यप्रदेश।
4– सचिव(समन्वय)/अवर सचिव (आर), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5– निज सचिव, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6– सहायक संचालक, जनसम्पर्क, मंत्रालय, भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग